(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 12/2022 – सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सा.का.नि.........(अ). - केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में यथा विनिर्दिष्ट और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद के अधीन आने वाले वर्णित माल को जो उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित किए गए हैं, जब वह भारत में आयात किए जाते हैं, उक्त प्रथम अनुसूची के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सीमाशुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट मानक दर पर संगणित रकम से अधिक है, इस अधिसूचना के उपाबंध में यथा विनिर्दिष्ट किन्ही शर्तों के अध्याधीन, उस शर्त संख्या को जो उक्त सारणी के स्तंभ (5) में तत्स्थानी प्रविष्टी में उल्लिखित है, छूट देती है ।

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय या शीर्ष या उपशीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	मानक दर	शर्त सं.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8507 60 00/ 8507 80 00	श्रवण के लिए प्रयोग होने वाली युक्तियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाली बैट्री	शून्य	1 और 4
			5%	1 और 5
			10%	1 और 6

			15%	1 और 7
2.	कोई अध्याय	क्रम सं. 1 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
3.	8518 90 00	श्रवण के लिए प्रयोग होने वाली युक्तियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले मुद्रित सर्किट बोर्ड संयोजन (पीसीबीए)	शून्य	1 और 4
			10%	1 और 5
			15%	1 और 6
			15%	1 और 7
4.	कोई अध्याय	क्रम सं. 3 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
5.	8518 90 00	श्रवण के लिए प्रयोग होने वाली युक्तियों के विनिर्माण में प्रयोग होने वाले स्पीकर संयोजन	शून्य	1 और 4
			शून्य	1 और 5
			5%	1 और 6
		स्पष्टीकण :- इस प्रविष्ट के प्रयोजनार्थ स्पीकर समुच्चय से संरक्षात्मक उपाय के साथ पूर्व संनियोजित स्पीकर ड्राइवर अभिप्रेत है । किंतु इसमें मुद्रित सकिट बोर्ड समुच्चय (पीसीबीए) या बैटरी सम्मिलित नहीं है ।	10%	1 और 7
6.	कोई अध्याय	क्रम सं. 5 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
7.	73, 74, 85	श्रवण के लिए प्रयोग होने वाले निम्नलिखित युक्ति भागों, घटकों और उपसाधनों, अर्थात् :	शून्य	1 और 4
			5%	1 और 5

		- (i) रबर के भाग (ii)प्लास्टिक के भाग (iii) पेंच (iv) चुंबक (v)संयोजित करने वाले भाग (vi) कर्ण परत (vii) मंच जोड़ (viii)मंच खोल (ix) कान के हुक (x)रोटरी पिन (xi) तार (xii) कान के बड बटन हाउसिंग (xiii) स्पीकर कैविटी (xiv) सिलीकोन फिन्स (xv) कान मफ्स (xvi) कान के खोल (xvii) बाहरी और भीतरी सांचे (xviii) ऊपरी घेरे के साथ दाहिने कान के कोपल (xix) कान के कप/कान के कुशन (xx) कान का जैल (xxi) गले का बैंड और सिर का बैंड(तारदार और घुमावदार)	10% 15%	1 और 6 1 और 7

		(xxii)चार्जिंग केस हाउसिंग (xxiii) दाहिने कान के कोपल का सीलबंद ड्राइवर (xxiv) कान के कोपल का मास्किंग बोर्ड (ईवीए) (xxv) कान के कोपल की हाउसिंग (xxvi) घुमावदार शाफ्ट (धातु और प्लास्टिक) (xxvii) धातु के कान के खोल (xxviii) तांबे की पन्नी		
8.	कोई अध्याय	क्रम सं. 7 पर उल्लिखित मदों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए इनपुट या पुर्जे या उपपुर्जे	शून्य	1 और 3
9.	8518 21 00, 8518 22 00, 8518 29 00 या 8518 30 00	सभी माल	15%	2
10.	8518 21, 8518 22, 8518 29 या 8518 30	सभी माल, श्रवण के लिए प्रयोग होने वाली युक्ति के अलावा	15%	3
11.	8518 90 00	सभी माल, क्रम संख्या 3,5 और 7 पर उल्लिखित के अलावा	10%	-

स्पष्टीकरण :- इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, श्रवण के लिए प्रयोग होने वाले उपकरणों से आशय है:-

(i) बेतार स्टीरियो, सिर पर लगाए जाने वाले फोन, कान में लगाए जाने वाले फोन और समरुप उपकरण जैसे कि कान के कोपल, गले के बैंड, सिर पर लगाए जाने वाले सैट इत्यादि, माइक्रोफोन के साथ संलग्न हों या नहीं और बेतार माध्यम द्वारा संबद्ध किए जाने के सक्षम हों; और

(ii) प्रवर्धक और ध्वनि विस्तारक (कों) के साथ संयोजित पोर्टेबल ब्लू टूथ स्पीकर, जिनकी अधिकतम आउटपुट शक्ति 40 वाट से अधिक न हो और जिनके साथ शक्ति के स्रोत के रुप में बैटरी संलग्न हों और जो ब्लूटूथ के माध्यम से बेतार कनेक्टिविटी के सक्षम हों ।

उपाबंध

शर्त संख्या	शर्तें
1.	यदि आयातक सीमाशुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल के आयात)नियम, 2017 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करता है ।
2.	तारीख 31 मार्च, 2022 तक विधिमान्य
3.	तारीख 1 अप्रैल, 2022 से विधिमान्य
4.	तारीख 1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक विधिमान्य
5.	तारीख 1 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च 2024 तक विधिमान्य
6.	तारीख 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक विधिमान्य
7.	तारीख 1 अप्रैल, 2025 से विधिमान्य ।

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/01/2022-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार